कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश

96, महात्मा गाँधी मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांक 94 कैम्प-प्र.अ. विकास/01 सरकुलर/17 दिनांक 21/03/17

कार्यालय –ज्ञाप

विभागीय मशीनों का उपयोग करने के सम्बन्ध में समय–समय पर स्पष्ट निर्देश इस कार्यालय द्वारा निर्गत किये गये हैं, लेकिन कई जनपदों में विभागीय मशीनों का प्रयोग न किये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अतः इस सम्बन्ध में पुनः निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :–

1. जिन जनपदों में विभागीय प्लान्ट हैं, उन जनपदों में नवीनीकरण के कार्यों हेतु ठेकेदार के माध्यम से अनुबन्ध तभी गठित किया जाये, जब मुख्य अभियन्ता द्वारा इसकी अनुमति प्रदान की जाये। मुख्य अभियन्ता इस बात को सुनिश्चित करेगें कि जिन जनपदों में विभागीय प्लान्ट हैं, उनमें प्लान्ट की परिधि के 50 कि0मी0 के अन्दर विभागीय प्लान्ट से ही कार्य कराया जाये। विशेष परिस्थिति का उल्लेख करते हुए कार्य अनुबन्ध के अनुसार कराने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता कार्यालय–आदेश निर्गत करेगें।
2. सिविल खण्डों द्वारा यांत्रिक खण्डों को हायर चार्जज का भुगतान तत्काल किया जाये एवं अधीक्षण अभियन्ता इस बात को सुनिश्चित कर लें कि यदि किसी खण्ड द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है तो उस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए हायर चार्जेज की धनराशि का भुगतान यांत्रिक खण्ड को कराया जाये।
3. विभाग में उपलब्ध सरकारी रोलर को निर्माण कार्यों में प्रयोग करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाये एवं इसके लिए अनुबन्ध में आवश्यक शिड्यूल भी लगाया जाये।

यदि यह संज्ञान में आता है कि किसी खण्ड में इन आदेशों को पालन नहीं किया जा रहा है तो सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता इसके लिए दोषी माने जायेगें एवं सम्बन्धित क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता को भी इस हद तक जिम्मेदार माना जायेगा कि उनके द्वारा विभागीय मशीनों को पूर्ण उपयोग कराने के सम्बन्ध में अपने दायित्वों को निर्वहन ठीक प्रकार नहीं किया गया है।

ह0/-
(वी0 के0 सिंह)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/(परि0/नियो0), लो0नि0वि0, उ0प्र0।
2. ~~मुख्य अभियन्ता (वि0/यां0)/(मु0–1)~~/(मु0–2)/(रा0मा0)/(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (सिविल/वि0यां0), लो0नि0वि0, उ0प्र0 (ईमेल द्वारा)।
5. समस्त अधिशासी ~~अभियन्ता~~ (सिविल/वि0यां0), लो0नि0वि0, उ0प्र0 (ईमेल द्वारा)

21/3/17
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष